दिनांक- 03.07.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 290/26

महोबा पुलिस

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में वर्चुअल जनसुनवाई का आयोजन किया गया, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

- आज दिनांक 03.07.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा से गूगल मीट के माध्यम से वर्चुअल जनसुनवाई आयोजित की गई। इस पहल के अंतर्गत जनपद के समस्त पुलिस अधिकारी एवं थाना प्रभारी वर्चुअल माध्यम से सीधे जुड़कर जनसमस्याओं के समाधान में सहभागी बने।
- जनसुनवाई के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से आये शिकायतकर्ताओं की समस्याओं को गंभीरता पूर्वक सुना गया तथा संबंधित थाना प्रभारियों से सीधे संवाद स्थापित कर प्रत्येक प्रकरण के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण हेतु स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए।
- पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी शिकायतों का निस्तारण पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया जाए, जिससे आमजन को शीघ्र न्याय एवं राहत प्राप्त हो सके।
- साथ ही उन्होंने जनसमस्याओं के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाते हुए प्रत्येक स्तर पर प्रभावी एवं उत्तरदायी पुलिसिंग सुनिश्चित करने पर बल दिया।

महोबा पुलिस- समस्याओं का समाधान, पारदर्शिता के साथ

दिनांक- 03.07.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 291/26

महोबा पुलिस

सर्किल - चरखारी, थाना - चरखारी

थाना चरखारी मिशन शक्ति केन्द्र की पहल से पारिवारिक विवाद का सौहार्दपूर्ण समाधान, काउंसलिंग उपरांत आपसी सुलह-समझौता।

❖ पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह के पर्यवेक्षण में एवं क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री दीपक दुबे के नेतृत्व में महिला सुरक्षा एवं पारिवारिक विवादों के निस्तारण हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना चरखारी पुलिस द्वारा सराहनीय कार्य किया गया।

❖ आज दिनांक 03/07/2026 को आवेदिका श्रीमती रीना देवी पत्नी अरुण, निवासी ग्राम अकथौहा थाना चरखारी जनपद महोबा द्वारा अपने पति अरुण के विरुद्ध गाली-गलौज, मारपीट एवं विवाद किये जाने के संबंध में शिकायती प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

❖ प्राप्त प्रार्थना पत्र के क्रम में दोनों पक्षों को थाना पर स्थापित मिशन शक्ति केन्द्र/महिला हेल्पडेस्क पर बुलाया गया, जहां उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना गया तथा समझाया-बुझाया गया।

❖ मामला पारिवारिक विवाद से संबंधित होने के कारण मिशन शक्ति केन्द्र टीम एवं परिवारजनों की उपस्थिति में दोनों पक्षों की काउंसलिंग की गई, जिसमें आपसी संवाद के माध्यम से विवाद को समाप्त करने का प्रयास किया गया।

❖ काउंसलिंग उपरांत दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से सुलह-समझौता कर लिया तथा लिखित रूप से अवगत कराया कि अब उनके मध्य कोई विवाद शेष नहीं है और भविष्य में वे सौहार्दपूर्ण ढंग से जीवनयापन करेंगे।

❖ दोनों पक्षों द्वारा किसी प्रकार की पुलिस कार्यवाही न करने तथा भविष्य में इस संबंध में कोई शिकायत न करने की बात कही गई।

❖ अतः दोनों पक्षों के मध्य हुए आपसी सुलह-समझौते के आधार पर महिला हेल्पडेस्क पर सुलहनामा अंकित किया गया।

❖ उक्त कार्यवाही मिशन शक्ति केन्द्र की प्रभावी पहल का परिणाम है, जिससे महिला सुरक्षा एवं पारिवारिक समरसता के प्रति जनविश्वास सुदृढ़ हुआ है।